पत्रांक– 5/अ0स0को0– 16/स्वा.स.को.

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक– 03/04/2020

विषय– COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में Isolation Centre/ Quarantine Centre की स्थापना के लिए स्थल चिन्हित करने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि COVID-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लॉक–डाउन होने तक एवं उसके बाद भी बड़ी संख्या में बिहार के निवासी अपने गाँव लौटे हैं। अन्य राज्यों से लौटे व्यक्तियों का सत्यापन एवं चिकित्सीय जांच किया जाना अत्यावश्यक है। दिनांक 22–03–2020 के पश्चात जो भी व्यक्ति राज्य के बाहर से आपके जिला में आये हैं उनकी जांच के लिए निम्नांकित प्राथमिकता निर्धारित किया जाता है।

1– विभिन्न विद्यालयों/पंचायतों एवं अन्य भवनों में Quarantine में रह रहे व्यक्ति जिनकी संख्या लगभग 26 हजार है।

2– जो व्यक्ति दिनांक 29–03–2020 के पश्चात आये हों!

3– जो व्यक्ति दिनांक 22–03–2020 के पश्चात आये हैं, में से सर्वप्रथम महराष्ट्र, तदोपरान्त केरल, कर्नाटक और दिल्ली से आये व्यक्तियों की जांच कमवार करायी जाये।

सत्यापन की कार्रवाई के कम में सर्वप्रथम Centralised Call Centre के माध्यम से वैसे व्यक्तियों की पहचान की जाए जो sympotomic हो। जो व्यक्ति sympotomic पाये जाते हैं उन्हें जिला मुख्यालय में स्थापित किये गये Quarantine centre में भर्त्ती कराया जाए एवं उनका सैम्पल प्राप्त कर सम्बद्ध Testing Laboratory में भेज दिया जाए। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/ 3/4/2020

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 5/अ0स0को0– 17/31.11.20.

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक– 03/04/2020

विषय– COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में Isolation Centre/ Quarantine Centre की स्थापना के लिए स्थल चिन्हित करने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 12(अ0स0को0) दिनांक– 01.04.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका–(ii) में अंकित है कि जो COVID-19 Positive व्यक्ति Symptomatic होगें अथवा जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी उन्हें विभिन्न अस्पतालों में संचालित Isolation-cum-Treatment Centre में रखा जाएगा एवं उनका समुचित इलाज किया जायेगा। उक्त के संबंध में कहना है कि COVID-19 Positive व्यक्तियों को निम्न संबद्धतानुसार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भेजा जाना है–

1. नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना– तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, सारण, पटना (कैमूर एवं रोहतास जिला को छोड़कर) प्रमंडल।
2. अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया– मगध प्रमंडल के जिले एवं कैमूर तथा रोहतास जिला।
3. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर– भागलपुर, पूर्णिया एवं सहरसा प्रमंडल।

उक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में Isolation-cum-Treatment Centre दो श्रेणी का बनाया जाना है।

श्रेणी –I Symptomatic Positive व्यक्ति जिन्हें तत्काल विशेष चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता नहीं हैं।

श्रेणी –II Symptomatic Positive व्यक्ति जिन्हें विशेष एवं गहन चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

3/4/2020

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।